

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/4696

दिनांक: 4/7/2019

—:आदेश:—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री महिपाल सिंह	सहा0प्रशा0 अधिकारी	जोबनेर	एपीओ निदेशालय
2.	नेहा मण्डावरिया	सहायक राजस्व निरीक्षक	जोबनेर	एपीओ निदेशालय
3	श्री मोहम्मद अली	कनिष्ठ लिपिक	जोबनेर	एपीओ निदेशालय
4	श्री सुरेश कुमार पंचाल	फायरमैन	बासवाडा	कुशलगढ
5	श्री पूरन पुत्र श्री मच्चो	सफाई कर्मचारी	नगर	भरतपुर
6	श्री विनोद कुमार बंसल	कार्यालय सहायक	आबूरोड़	एपीओ निदेशालय
7	रजनीश चौधरी	राजस्व निरीक्षक	जयपुर	सांभर
8	श्री प्रवीण कुमार राजपुरोहित	स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय	एपीओ निदेशालय	पिण्डवाडा
9	श्री अरूण पुत्र श्री मुन्नालाल	सफाई कर्मचारी	राजाखेड़ा	करौली

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
3. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
4. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
5. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

325/1/19
(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/4697-4724

दिनांक : 4/7/2019

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो0 स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/ पालिका/परिषद.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
6. संबंधित कर्मचारी श्री
7. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)